

डिकरी ब मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवाँ ब इजलास श्योराम (आर.ए.एस.)

1. लोडक्या आत्मज मोडू गुर्जर निवासी बड़ी पड़ाप तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

— वार्द

बनाम

1. राजस्थान राज्य जयें जिलाधीश महोदय बून्दी।
2. भू-स्वामी जयें तहसीलदार नैनवाँ बून्दी।

— प्रतिवादीग

वादपत्र:- अधिकार घोषणा व नक्शे में तरमीम बाबत


मुकदमा नं. 143 दावा 2017 सन्2017.....यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस कतई रू-ब-रूहमारे.....बहाजरी वादी के अभिभाषक-..... मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हु दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

ग्राम बड़ी पड़ाप पटवार मण्डल रजलावता में भूमि खसरा सं. 1393/1061 रकबा 3 बीघा की गैर खातेदारी से खातेदारी के सम्बंध में प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता


.....चीज-..... मुबलिग-..... बाब-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह-..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक-..... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन्. 2020 को की गई।

मुहर


उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)
आहद

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	-
	-	-		-


उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

